



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-37

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 149398 दिनांक 23/08/2023 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	SURESH CHAND DHOOT S/o GULAB CHAND DHOOT	श्री सुरेश चन्द धूत पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द एवं श्रीमती राजा बाई धूत पत्नी स्व. श्री गुलाब चन्द	10	311.11 SQ. YARD	Private	NANDAN ENCLAVE Sector/Block-D	Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी योजना नन्दन एनक्लेव के आवासीय भूखण्ड संख्या डी-10 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज की लीजडीड दिनांक 29.08.2008 को श्री सुरेश चन्द धूत पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द एवं श्रीमती राजा बाई धूत पत्नी स्व. श्री गुलाब चन्द के नाम जारी किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती राजा बाई धूत की दिनांक 17.01.2018 को मृत्यु हो चुकी है। आवेदक श्री सुरेश चन्द धूत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. SURESH CHAND DHOOT S/o GULAB CHAND DHOOT को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |